ग्राम पंचायत साडल, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2021 से 03/2023

भाग-एक

1 **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत साडल, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखों का अंकेक्षण कार्य राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव एवं अन्य कर्मचारी कार्यरत थे।

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री राजमल	01-04-2021 से 31-03-2023

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री रविंदर कुमार	01-04-2021 से 30-06-2021
2.	श्री महाजन राम	01-07-2021 से 31-03-2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत साडल, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्र० सं०	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	5	बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर	0.49

2	6.1	विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान का अवरोधन।	12.94
3	7.1	पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया की वसूली न करने बारे	0.68
4	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने बारे	002
5	8.2	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना X–फॉर्म के क्रय करने से सरकार को रॉयल्टी के तौर के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि।	1.07
6	8.3	प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर की सम्भावित वित्तीय हानि बारे।	0.55
7	9.1	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे	0.82
8	9.2	सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे	0.43
9	9.3	मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे।	0.21

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

ग्राम पंचायत साडल, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा (हि०प्र०) से सम्बन्धित गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/507 दिनांक 10-03-2024 द्वारा अवगत करवाया गया। तदोपरांत पुन: अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/508 दिनांक 10-03-2024 द्वारा अवगत करवाया गया। जिसमे सचिव द्वारा उत्तर दिया गया कि उक्त अनिर्णीत पैरों के उपर कोई कार्यवाही नही की गई है । इस प्रकार से गत अंकेक्षण प्रतिवेदन पर कार्यवाही न करना नियमों के प्रतिकूल है। अत: उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल पैरों पर शीघ्र ही कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये। अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2017 तक :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
.1	3	अनिर्णीत	
2.	4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।

3.	4.2	अनिर्णीत	
4.	5	अनिर्णीत	
5.	6	अनिर्णीत	
6.	7	अनिर्णीत	
7.	8	अनिर्णीत	
8.	9	अनिर्णीत	
9.	10	अनिर्णीत	
10	11	अनिर्णीत	
11	12	अनिर्णीत	
12	13	अनिर्णीत	
13	14	अनिर्णीत	
14	15	अनिर्णीत	
15	16	अनिर्णीत	

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत साडल, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 06-03-2024 से 14-03-2024 तक ग्राम पंचायत साडल के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2021-22	02/2022	08/2021
2	2022-23	10/2021	05/2022

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु राज्य लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत साडल, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 को शीघ्रअतिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या-SAD/CBA/2023-24/469 दिनांक-14-03-2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत साडल से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत साडल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4 (अ) स्वः-स्त्रोतों व अनुदान

ग्राम पंचायत साडल के अवधि 04/2021 से 03/2023 तक स्व-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है।

1. स्वः-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	आय	योग	व्यय	अंतिम शेष
2021-22	106234	83856	190090	68160	121930
2022-23	121930	61693	183623	79983	103640

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	आय	योग	व्यय	अंतिम शेष
2021-22	557446	6072778	6630224	5418121.7	1212102.3
2022-23	1212102.3	8544725.67	9756827.97	8462011.67	1294816.3

कुल योग (1 + 2) = ₹103640+₹1294816.3= ₹1398456.3

(ब) ग्राम पचांयत साडल, विकास खण्ड भटियात , जिला चम्बा (हि.प्र.)

दिनांक 31/03/2023 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	अनुदान का नाम	राशि 31-03-2023
1.	18010111239	HPSCo-Op bank Chowari	Sabha Fund	109579

2.	18010105561	HPSCo-Op bank Chowari	VKVNY/ MP LAD/SBM/SDP/M MAY/SDRF	353212.79
3.	18010122251	HPSCo-Op bank Chowari	5th SFC	7236
4.	50100359654605,	HDFC Dalhousie	15TH FC	978205.3
			cash in hand	25
			कुल योग	**1448258.09**

अन्तर (ब-अ) ₹1398456.3-₹1448258.09= ₹49801.79

4.2 उपरोक्त वर्णित वित्तीय स्थिति के अनुसार रोकड़ बही व बैंक पासबुक में दिनांक 31-03-2023 को राशि ₹49801.79 का अन्तर ग्राम पंचायत द्वारा मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण था। जिसका मिलान अतिशीघ्र किया जाये।

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹0.49 लाख का अन्तर :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत साडल द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2023 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹49801.79 का अन्तर **परिशिष्ट -3** अनुसार रोकड़बही में कम शेष के रूप में है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-509, दिनांक 11-03-2024 द्वारा पंचायत सचिव को स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि; " भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।"

अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान ₹12.94 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 3** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2023 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹**1294816.3** की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों

की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बन्धित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करती है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-SAD/CBA/RK/2023-24/509 दिनांक 11.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत साडल के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि "भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।"

अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के आदेशों की प्रति/पत्र अंकेक्षण हेतु उपलब्ध न करवाना :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गए अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की प्रतियाँ अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि, पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष हेतु प्राप्त किये गए हैं।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 509 दिनांक 11-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत को अनुदान आदेशों की प्रति/पत्र प्राप्त नहीं हुए तथा खंड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप से अनुदान के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अत: उक्त प्रकरण को विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.68 लाख की वसूली न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को नियम 77(4) व फॉर्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत साडल के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत बकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चूककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित **₹68735.00** की राशि वसूली हेतु शेष थी।

31-03-2023 को गृह कर बकाया राशि का विवरण

क्र० स०	वितीय वर्ष	अथशेष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर प्रति परिवार/	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष बकाया राशि
1.	2021-22	61335	440	50	22000	83335	36800	46535
2.	2022-23	46535	444	50	22200	68735	0	68735

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 510 दिनांक 11-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क व विलम्ब शुल्क की वसूली न करने के कारण राशि ₹2300/-की वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण का सामान्य श्रेणी हेतु पंजीकरण की धारा 8(1) के प्रावधानों के तहत ₹200 (30 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹25 (30 दिन के अंदर) तदोपरांत ₹400 (30 से 90 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹50 (30 से 90 दिन के अंदर) की वसूली की जानी अपेक्षित थी एवं वसूली गई फीस को सरकारी राजकोष

के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, **परिशिष्ट-4** अनुसार उक्त पंचायत सचिव द्वारा वर्ष 2021-22, 2022-23 के विवाह पंजीकरण रजिस्टर में विवाह पंजीकरण शुल्क की व विलम्ब शुल्क की वसूली की गई थी किन्तु सरकारी कोष में जमा नही करवाया गया था जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। पंचायत सचिव की लापरवाही के कारण सरकार को राशि ₹2300/- की वितीय हानि हुई तथा विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या- 511 दिनांक 14-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली गई है तथा जिसे जमा कर दिया जायेगा।" अत: उपरोक्त राशि को सम्बन्धित सरकारी खाते/कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा इसके अतिरिक्त पूर्व में जमा विवाह शुल्क जोकि सभा निधि में है उसकी गणना करके उसे भी सम्बंधित खाते /कोष में जमा करवाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत साडल के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 486 दिनांक 05-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा। कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना X–फॉर्म के क्रय करने से सरकार को रॉयल्टी के तौर पर राशि ₹1.07 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स (कन्सेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रान्सपोटेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को खनन विभाग से अन्नापति प्रमाण पत्र X-फार्म प्राप्त कर सम्बंधित पंचायत को देना अनिवार्य है। इसके अत्तिरिक्त उद्योग विभाग चंबा के पत्र संख्या 902 दिनांक 18-02-2022 के अंतर्गत समस्त विकास खंड कार्यालयों को संशोधित मूल्य अनुसार रॉयल्टी काटने के आदेश जारी किये गए थे तथा इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा अखबार में प्रकाशित की गई निविदाओं में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र फॉर्म –M/X उपलब्ध न करवाने की दशा में अपेक्षित रॉयल्टी की कटौती हेतु कहा गया था।

परन्तु ग्राम पंचायत साडल, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा की अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णत: अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से न तो कोई अन्नापति प्रमाण पत्र/X-फॉर्म लिया गया और न ही रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती की गई। जिससे कि, सरकार को राशि ₹107836/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "5"** में दिया गया है।) की संभावित वित्तीय हानि हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/513 दिनांक 13-03-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, उक्त क्रय सामग्री हेतु रॉयल्टी की कटौती सम्बन्धित संविदाकारों से करके एवं उसे सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्यवाही से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं आगामी भविष्य में X फॉर्म न होने की स्थिति में नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती की जायेगी एवं उसे समयबन्ध सरकारी कोष में भी जमा करवा दिया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव प्रतीत हो रहा है अपितु इस प्रकार से अवैध खनन से सरकारी आदेशों की भी स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। यह एक गंभीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: इस अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्यवाही/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.55 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे :-

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता का GST धारक होने की दशा में निविदाएं स्वीकृत की गई थी अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹1119727/- का भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "5"** में दिया गया है।) किसी प्रॉपर/कंप्यूटर जेनरेटड/टैक्स बिल पर न करके सादे कागज़ पर कर दिया गया है तथा आपूर्तिकर्ता रेत, बजरी एवं पत्थर में इत्यादि का धारक न होकर अन्य वस्तुओं व सेवाओं हेतु पंजीकृत था इसके अतिरिक्त सरकार को देय कर के साक्ष्य/ चालान भी नही पाए गये जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹55986/- की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 513 दिनांक 13-03-2024 के प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, GST कटौती बारे आपूर्तिकर्ताओं से स्पष्टीकरण लेकर यथाशीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर स्पष्ट एवं तर्कसंगत नहीं है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा गठित उप-क्रय समिति द्वारा कुटेशनों एवं क्रय के समय बिलों की उचित जांच पड़ताल नहीं की गई जिससे कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा रसीदों पर ही अनुचित तरीके से भुगतान प्राप्त किया गया जिससे कि सरकार को वस्तु एवं सेवा कर की वित्तीय हानि होने के साथ-साथ किया गया भुगतान भी संदिग्ध प्रतीत होता है जोकि एक अत्यंत गंभीर वित्तीय अनियमितता है। अत: उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में बिना टैक्स बिल के भुगतान करने का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के सम्बन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमाविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके समबन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया। यह गंभीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जाच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजानिक धन के दुरूपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

9.1 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹0.82 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें,कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा राशि **₹82916**/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया। जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के सरकारी नियमों की अवहेलना भी की गई, तथा इसके अतिरिक्त उक्त भुगतान प्रधान व् सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना किये गये जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

SR. NO	VOUCHER NO./DATE	NAME OF FUND	PARTICULAR/ DETAIL OF PARTY	DISCRIPTION OF ITEM	AMOUNT
1	01/10.08.21	SDP	A G Enterprises	Iron & Sand	17750
2	02/19.08.21	SDP	Bindu Electricals Chowari	Electrical Goods	19850
3	04/24.09.21	SDP	A G Enterprises	Painting	39900
4	01/02.07.21	SF	Ram Studio Chowari	Stationary	3276
5	05/07.5.22	SF	M/S Devika Book Depot Chawari	Stationary	2140
				total	**82916**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-512 दिनांक 13-03-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव, ग्राम पंचायत साडल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय

किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है एवं बिना कुटेशन के क्रय करना संदिग्ध प्रतीत होता है यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है।

अत: इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई समस्त खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.2 राशि ₹0.43 लाख के सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,परिदान के समय ,उसका यथास्थिति,परिक्षण, गणना,माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा। किसी एकल दिवस की प्रविष्टियों के अंत में यथास्थिति ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्टॉक (सामान) उचित स्थिति का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। अधिशेष यदि कोई है; का विवरण और कोई कमी (यदि कोई है) लाल स्याही से उपदर्शित की जायेगी।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि ₹**43016**/-के स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया था किन्तु उक्त की स्टॉक प्रविष्टी नही की गई थी :-

SR. No	Voucher No./Date	Name of Fund	Particular/ Detail Of Party	Discription of item	Amount
1	01/10.08.21	SDP	A G Enterprises Chowari	Iron & Sand	17750
2	02/19.08.21	SDP	Bindu Electricals Chowari	Electrical Goods	19850
3	01/02.07.21	SF	Ram Studio Chowari	Stationary	3276
4	05/07.5.22	SF	M/S Devika Book Depot Chawari	Stationary	2140
				Total	**43016**

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/516 दिनांक 14.03.2024 द्वारा, सचिव को अवगत करवाया गया। इस सम्बन्ध में सचिव के द्वारा कि भविष्य में उक्त अनियमितता को नही दोहराया जायेगा।

अत: नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार क्रय किये गए सामान के स्टॉक प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें एवं उक्त स्टॉक की प्रविष्टि करके अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.3 राशि ₹0.21 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)(2)** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अत्तिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी।

ग्राम पंचायत साडल के लेखों की नमूना/चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार कुल राशि **₹21600**/- का व्यय किया गया। जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई :-

1. संकर्म समिति, सतकर्ता समिति के सदस्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गए थे। जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न संकर्मों के निष्पादन हेतु उक्त दोनों समितियों का होना व हस्ताक्षर करना आवश्यक है। इसके बिना पंचायत स्तर के कार्यों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती।

2. बिना पे-ऑर्डर एवं प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान कर दिया गया था जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। जबकि उक्त नियमानुसार कोई भी संदाय/भुगतान इसमें वर्णित प्रावधानों के बिना नहीं हो सकता था।

Muster Roll No	**CB Page No /Date**	**Amount**	**Discription Of Item**	**Head**	**Name of Work**
1239	11/-57	21600	Labour Payment	Sbm	C/O Garbage Collection Center GP Sadal
	Total	**21600**			

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 515 दिनांक 14-03-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, ग्राम पंचायत साडल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि "उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्यवाही से अवगत करवा दिया जायेगा।" अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.4 सभा निधि से राशि ₹3160.00 का अनियमित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 46 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा किये जाने वाले खर्चों को मितव्ययिता के साथ किये जाने के नियम प्रावधित हैं ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा सभा निधि से निम्न विवरण अनुसार पैन ड्राइव तथा फोटो कॉपी क्रय की गई थी किन्तु उक्त स्टॉक पंचायत के स्टॉक रजिस्टर में नही पाए गये तथा इसके उपरान्त फोटो कॉपी हेतु पंचायत में प्रिंटर उपलब्ध था जिसके उपरान्त उक्त फोटो कॉपी पंचायत से बाहर करवाए गये जोकि दोहरा खर्च प्रतीत होता है जिस कारण यह पता लगाया मुश्किल था कि किया गया व्यय वास्तविक था अथवा नहीं जोकि एक गम्भीर वितीय अनियमितता है तथा किया गया व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है

SR. No	Voucher No./Date	Name of Fund	Particular/ Detail Of Party	Discription Of Item	Amount
1	02/02.07.21	SF	Ram Studio Chowari	Pen Drive & Photo Copy	3160
				Total	**3160**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/509 दिनांक 11-03-2024 द्वारा सचिव ,ग्राम पंचायत को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था। इसके प्रत्त्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि इस अनियमितता को भविष्य में नही दोहराया जायेगा तथा उक्त राशी की वसूली कर ली जाएगी। अतः उक्त किये गये भुगतान की वसूली करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस तरह की अनियमितता को न दोहराया जाए ।

9.4 निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ट अभियंता स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन,मापन पुस्तिका इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त कर्मचारियों के स्तर पर किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय,खपत,सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 514 दिनांक 14-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि उक्त अभिलेख अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जायेगे। अतः उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत साडल के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। रोकड़ बहियों में न तो प्रगतिशील योग किये गए हैं और न ही अथशेष व अंतशेष दर्शाए गए है और न ही ऑनलाइन रोकड़ बहियों को अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया, जिससे कि पंचायत की वितीय स्थिति में अथशेष पंचायत द्वारा बनाई गई परीक्षा संतुलन सूची से लिए गए हैं जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़ बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-509, दिनांक 14-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि; भविष्य में रोकड़ बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़ बहियों को पंचायत अभिलेख में रख लिया जायेगा। अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.3 PRIYA SOFTWARE में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में ₹0.50 लाख के अन्तर बारे :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-PANCHAYT मिशन प्रोजेक्ट (MPP) प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० कर रहा है इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ हि०प्र० पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज़ रहित प्रणाली के अंतर्गत E-PANCHAYAT में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल तथा प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो लेखे PRIYA सॉफ्टवेयर में बनाये गए थे वह मैन्युअल रोकड़ बही लेखों व बैंक खातों से मेल नहीं खाते फलस्वरूप दिनांक 31-03-2023 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मैनुअल लेखों में निम्न विवरणानुसार राशि ₹49800.7 का अन्तर पाया गया

31-03-2023 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मैनुअल लेखों संधारित लेखों (रोकड़ बही) में अन्तशेष

31-03-2023 को PRIYA SOFT में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹1448257.00
31-03-2023 को पंचायत द्वारा मेनुअल संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	**₹1398456.30**
अन्तर	49800.70

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर ऐसा प्रतीत होता है कि: पंचायत सचिव द्वारा PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़े सही ढंग से संधारित नहीं किये जा रहे हैं जोकि उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है, इस सम्बन्ध में सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/509 दिनांक 11.03.2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अन्तर का मिलान कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं है क्योंकि PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़ों का संधारण किया जाना पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है

अतः दोनों अन्तर की छानबीन व पुनर्मिलान करके वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

10.2 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वितीय वर्ष 2021-23 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों जैसे 5th स्टेट, के साथ एक ही बैंक खाता एवं एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 509 दिनांक 14-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत साडल द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व:-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 पंचायत द्वारा ट्रायल बैलेंस ,बैलेंस शीट ,प्राप्ति एव भुगतान इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न अभिलेख जैसे ट्रायल बैलेंस ,बैलेंस शीट, प्राप्ति एव भुगतान इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नही किये गये जिस कारण इस विभाग के ऑडिट कोड में वर्णित पंचायत के उक्त अभिलेखों को प्रमाणित नहीं किया जा सका।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 507 दिनांक 10-03-2024 तथा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 509 दिनांक 11.03.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत साडल द्वारा सूचित किया कि, पंचायत उक्त अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। दिया गया उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नही होता है क्यूंकि उक्त अभिलेखों को वर्तमान में प्रस्तुत करना था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.4 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)	अपूर्ण
5.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं

6.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
7.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
8.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
9.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
10.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
11.	मनरेगा रजिस्टर	16 से 22	10.3.1 से 3.9	अपूर्ण
12.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-509, दिनांक 14-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि "भविष्य में विहित रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा।" अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत साडल की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया है। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-509 दिनांक 14-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्यवाही न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजनिक धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना को नकारा जा सके।

11.6.24
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

2751–2755 का0/प0 12 JUN 2024

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 15/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत साडल, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण लाल नेगी) 11.6.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का0/प0

पैराग्राफ-1 की संख्या 4(अ) 1. के संदर्भ में

Financial Position of Own Sources in r/o		" GP SADAL "		Dev. Block "BHATTIYAT" Distt Chamba H.P	
Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2021-22	106234	83856	190090	68160	121930
2022-23	121930	61693	183623	79983	103640

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Sadal
Dev. Block Bhattiyat
Distt. Chamba (H.P.)

परिशिष्ट-2 पैरा संख्या 5 (अ) 2 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in Aid in r/o GP Sanchui D.B Bharmour Tehsil Bharmour Distt Chamba H.P					
Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2021-22	557446	6072778	6630224	5418121.7	1212102.3
2022-23	1212102.3	8544725.67	9756827.97	8462011.67	1294816.3

Panchayat Secretary
Gram Panchayat [illegible]
Dev. Block Bhattiyat.
Distt. Chamba (H.P.)

परिशिष्ट-3 पैरा संख्या 5, पैरा संख्या 6.1 के सन्दर्भ में

Grant in aid in r/o Gram Panchayat		" GP SADAL "	Dev. Block BHATTIYAT	Distt Chamba HP-176302	Year Ended	2021-22
Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
1	5 TH FC	87504	160500	248004	246500	1504
2	MPLAD	32584	72000	104584	91750	12834
3	MMAY	0	75000	75000	75000	0
4	SBM	0	200000	200000	199701	299
5	SDP	0	40000	40000	0	40000
6	ICDS	20000	40000	60000	57720	2280
7	VKVNY	0	80000	80000	0	80000
8	15 FC	360889	711625	1072514	17.7	1072496.3
9	MGNREGA	0	4692846	4692846	4692846	0
10	14 TH FC	56469	807	57276	54587	2689
	Total	557446	6072778	6630224	5418121.7	1212102.3

Grant in aid in r/o Gram Panchayat		" GP SADAL "		Distt Chamba HP-176302	Year Ended	2022-23
1	5 TH FC	1504	266250	267754	261650	6104
2	MPLAD	12834	200000	212834	0	212834
3	MMAY	0	0	0	0	0
4	SBM	299	0	299	299	0
5	SDP	40000	200000	240000	200000	40000
6	ICDS	2280	0	2280	0	2280
7	VKVNY	80000	369979	449979	352532	97447
8	15 FC	1072496.3	980928	2053424.3	1117273	936151.3
9	MGNREGA	0	6269604.67	6269604.67	6269604.67	0
10	14 TH FC	2689	464	3153	3153	0
11	MMGKY	0	67500	67500	67500	0
12	SDRF	0	190000	190000	190000	0
	Total	1212102.3	8544725.67	9756827.97	8462011.67	1294816.3

	Balance as Per Bank on 31.03.23			
	A/c No	Branch	Head	
1	18010111239	HPSCo-Op bank Chowari	Sabha Fund	109579
2	18010105561	HPSCo-Op bank Chowari	VKVNY/ MP LAD/SBM/SDP/MMAY/SDRF	353212.79
3	18010122251	HPSCo-Op bank Chowari	5th SFC	7236
4	50100359654605,	HDFC Dalhousie	15TH FC	978205.3
		Cash In Hand		25
	Total			1448258.09

1	Cash Book Balance on 31.03.2023 (Own Source)		103640
2	Cash Book Balance on 31.03.2023	5 TH FC	6104
3	Cash Book Balance on 31.03.2023	MPLAD	212834
4	Cash Book Balance on 31.03.2023	MMAY	0
5	Cash Book Balance on 31.03.2023	SBM	0
6	Cash Book Balance on 31.03.2023	SDP	40000
7	Cash Book Balance on 31.03.2023	ICDS	2280
8	Cash Book Balance on 31.03.2023	VKVNY	97447
9	Cash Book Balance on 31.03.2023	15 FC	936151.3
10	Cash Book Balance on 31.03.2023	MGNREGA	0
11	Cash Book Balance on 31.03.2023	14 TH FC	0
12	Cash Book Balance on 31.03.2023	MMGKY	0
13	Cash Book Balance on 31.03.2023	SDRF	0
		Total	1398456.3
		Diffrence	49801.79

Note :- 1.Opening Balance & Closing Balance Not Taken in General Manual Cash Book. So opening balances taken from Bank Pass book

2. Progressive Total Not Taken in Mannual Cash Book

3.Mnrega cash book not maintained so income and expenditure taken from mnrega financial position

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Sadal
Dev. Block Bhattiyat.
Distt. Chamba (H.P.)

परिशिष्ट-4 पैरा संख्या 7.2 के संदर्भ में

पंजीकरण ग्राम पंचायत [illegible]

क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशी	वसूली गई राशी	सरकारी कोष में जमा न की गई राशी
1	गुरविंद्र सिंह	16-4-22	6-5-22	200	200	200
2	सुनील कुमार	20-4-22	17-5-22	200	200	200
3	सदीक	6-5-22	4-6-22	200	200	200
4	भजन सिंह	5-6-22	17-6-22	200	200	200
5	जौन मुहम्मद	21-3-22	18-6-22	200	200	200
6	अकलेश कुमार	4-7-22	23-7-22	200	200	200
7	सलमखान	28-7-22	17-10-22	400	400	400
8	सुनील कुमार	4-12-22	17-12-22	25	25	25
9	रमेश कुमार	2-12-22	20-12-22	25	25	25
10	जीवन कुमार	3-12-22	22-12-22	25	25	25
11	अशोक कुमार	15-1-23	10-2-23	200	200	200
12	सुशील कुमार	16-2-23	4-3-23	200	200	200
13	निरंजन बाबा	7-2-23	4-3-23	25	25	25
14	आसीन मुहम्मद	5-3-23	25-3-23	200	200	200
					Total	2300/00 only

29°C Sunny

Panchayat Secretary
Gram Panchayat [illegible]
Dev. Block Bhattiyat
Distt. Chamba (H.P.)

परिशिष्ट-5 पैरा संख्या 8.2 व 8.3 से संदर्भित

GRAM PANCHAYAT "SADAL" DEV. BLOCK BHATTIYAT, DISTT CHAMBA

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER FROM WHICH ROYALITY & GST NOT PAID/DEDUCTED AND PAYMENT MADE WITHOUT JOINT SIGN

01-04-2021 TO 31-03-2023

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/Bill DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT PAID	AMOUNT TO BE PAID	GST NOT PAID /DEDUCTED
1	A G Enterprises Chowari	SDP	01/10.08.21	SAND	4.2	6.9	60	412.9	6750.0	6428.6	321.4
2	Ashok kumar govt cont.	SBM	13/09.11.21	SAND	6.0	9.8	60	586.3	10270.0	9781.0	489.0
3	Ashok kumar govt cont.	SBM	13/09.11.21	AGG	3.3	5.0	60	299.6	5034.0	4794.3	239.7
4	Ashok kumar govt cont.	SBM	18/07.02.22	STONE	3.64	8.19	60	491.4	5460.0	5200.0	260.0
5	S.K Bhardwaj and sons	VKVNY	05/07.05.22	SAND	7.5	12.2	80	972.6	13250.0	12619.0	631.0
6	S.K Bhardwaj and sons	VKVNY	05/07.05.22	AGG	15.1	22.9	80	1835.5	24518.0	23350.5	1167.5
7	S.K Bhardwaj and sons	VKVNY	14/07.05.22	STONE	26.67	60.0075	80	4800.6	16000.0	15238.1	761.9
8	S.K Bhardwaj and sons	VKVNY	07/07.05.22	SAND	10.8	17.4	80	1394.7	17480.0	16647.6	832.4
9	S.K Bhardwaj and sons	VKVNY	05/07.05.22	AGG	15.3	23.2	80	1856.2	26950.0	25666.7	1283.3
10	S.K Bhardwaj and sons	VKVNY	28/07.05.22	STONE	27.34	61.5	80	4921.2	16404.0	15622.9	781.1
11	S.K Bhardwaj and sons	15TH FC	06/03.05.22	AGG	8.5	19.1	80	1524.2	13455.0	12814.3	640.7
12	S.K Bhardwaj and sons	15TH FC	06/03.05.22	STONE	21.3	47.9	80	3834.0	12780.0	12171.4	608.6
13	S.K Bhardwaj and sons	15TH FC	06/03.05.22	SAND	4.6	7.4	80	598.9	8050.0	7666.7	383.3
14	S.K Bhardwaj and sons	15TH FC	08/03.05.22	AGG	8.3	12.6	80	1005.6	13140.0	12514.3	625.7
15	S.K Bhardwaj and sons	15TH FC	08/03.05.22	STONE	19.98	45.0	80	3596.4	11988.0	11417.1	570.9
16	S.K Bhardwaj and sons	15TH FC	08/03.05.22	SAND	4.5	7.2	80	579.9	7900.0	7523.8	376.2
17	S.K Bhardwaj and sons	15TH FC	10/03.05.22	SAND	6.1	10.0	80	796.5	10850.0	10333.3	516.7
18	S.K Bhardwaj and sons	15TH FC	10/03.05.22	AGG	9.0	13.6	80	1091.7	14582.0	13887.6	694.4
19	S.K Bhardwaj and sons	15TH FC	18/07.05.22	SAND	4.6	6.9	80	554.4	8050.0	7666.7	383.3
20	S.K Bhardwaj and sons	15TH FC	18/07.05.22	STONE	21.3	47.9	80	3834.0	12780.0	12171.4	608.6
21	S.K Bhardwaj and sons	15TH FC	18/07.05.22	AGG	8.5	12.9	80	1029.7	13455.0	12814.3	640.7
22	S.K Bhardwaj and sons	15TH FC	25/13.05.22	SAND	10.2	15.5	80	1239.8	18000.0	17142.9	857.1
23	S.K Bhardwaj and sons	15TH FC	25/13.05.22	AGG	8.3	12.6	80	1009.0	13478.0	12836.2	641.8
24	Ashok kumar govt cont.	MNREGA	05/22.10.21	STONE	19.3	29.4	80	2351.7	29010.0	27628.6	1381.4
25	Ashok kumar govt cont.	MNREGA	10/21.1.22	STONE	51.3	77.9	80	6235.6	76920.0	73257.1	3662.9
26	Ashok kumar govt cont.	MNREGA	10/21.1.22	SAND	13.0	19.8	80	1584.1	22195.0	21138.1	1056.9
27	Ashok kumar govt cont.	MNREGA	10/21.1.22	AGG	24.9	37.9	80	3030.5	38192.0	36373.3	1818.7
28	Ashok kumar govt cont.	MNREGA	05/22.03.22	STONE	111.0	168.7	80	13495.2	158928.0	151360.0	7568.0
29	Ashok kumar govt cont.	MNREGA	05/22.03.22	AGG	220.1	334.5	80	26761.6	337159.0	321103.8	16055.2
30	Ashok kumar govt cont.	MNREGA	05/22.03.22	SAND	124.4	201.5	80	16120.2	212685.0	202557.1	10127.9
	Total			TOTAL				107836.3	1175713.0	1119726.7	55986.3

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal

   Rate of Royalty is taken Rs 80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining

   Conversion Factor

2. **A. From Square Feet to Cubic Meter M3**

   35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M^3) — Common to all items Sand, Stone & Aggregate

3. **B. From Cubic Meter (M^3) to Tonne**

   One Cubic Meter (M^3) Sand — 1.62

   One Cubic Meter (M^3) Aggregate — 1.52

   One Cubic Meter (M^3) Stone — 2.24

4. All items Sand, Stone & Aggre. **average weight** are taken for conversion while cubic meter to tonne.

5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or not

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Sadal
Dev. Block Bhattiyat.
Chamba (H.P.)